संख्या–760 / नौ–8–2017–29ज / 2017

प्रेषक

राहुल भटनागर,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1–समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2–समस्त पुलिस महानिरीक्षक / पुलिस उप महानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश।
3–समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4–समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक / पुलिस अधीक्षक, उत्तर प्रदेश।
5–समस्त नगर आयुक्त, नगर निगम, उत्तर प्रदेश।

नगर विकास अनुभाग–8 लखनऊः दिनांक 22 मार्च, 2017

विषयः प्रदेश में संचालित अवैध पशुवधशालाओं को बन्द किये जाने एवं यान्त्रिक पशुवधशालाओं पर प्रतिबन्ध लगाये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

अवगत कराना है कि प्रदेश में संचालित अवैध पशुवधशालाओं को बन्द किये जाने एवं यान्त्रिक पशुवधशालाओं पर प्रतिबन्ध लगाया जाना वर्तमान सरकार की प्राथमिकताओं में है। उक्त के दृष्टिगत मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश के समस्त जनपदों में स्थित पशुवधशालाओं का निरीक्षण किया जाय तथा अवैध रूप से संचालित पशुवधशालाओं को तत्काल प्रभाव से बन्द कराने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए तथा दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध अधिनियमों / नियमों के सुसंगत प्रावधानों के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही भी सुनिश्चित की जाय।

2– उल्लेखनीय है कि प्रदेश के अन्तर्गत पशुवधशालाओं के संचालन तथा पशुवधशालाओं में अवैध रूप से हो रहे पशु वध को रोके जाने के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या–1645 / नौ–8–2014–2सी.एस. / 2012 दिनांक 30.06.2014 **(छायाप्रति संलग्न)** द्वारा विस्तृत दिशा निर्देश पूर्व में निर्गत किये गये हैं। तत्क्रम में पशुवधशालाओं में अवैध रूप से हो रहे पशु वध को रोके जाने हेतु जिलाधिकारी के अध्यक्षता में निम्नानुसार एक समिति का गठन किया जाय :–

क्रमांक	सम्बन्धित विभाग / अधिकारी	पदनाम
1	जिलाधिकारी	अध्यक्ष
2	वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक / पुलिस अधीक्षक	सदस्य
3	क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड	सदस्य
4	मुख्य पशुचिकित्साधिकारी	सदस्य
5	संभागीय परिवहन अधिकारी / सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी।	सदस्य
6	श्रम प्रवर्तन अधिकारी	सदस्य
7	जिला पंचायत राज अधिकारी	सदस्य
8	मुख्य चिकित्साधिकारी	सदस्य
9	खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन के विहित प्राधिकारी	सदस्य
10	सम्बन्धित नगर आयुक्त / अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका परिषदें / नगर पंचायतें / जिला पंचायत	सदस्य

sign

3— उक्त समिति द्वारा जनपद में संचालित पशुवधशालाओं में प्रतिदिन होने वाले पशुओं की पशुवध संख्या, वहां पर पशुधन की उपलब्धता का वास्तविक एवं अद्यतन आंकड़ों के परिप्रेक्ष्य आंकलन करते हुए, पशुवधशालाओं के विषय में निर्गत विभिन्न शासनादेशों, अधिनियमों, नियमों तथा दिशा—निर्देशों के आधार पर, पशुवधशालाओं के संचालन में पायी गयी कमियों, के परिप्रेक्ष्य में निरीक्षण आख्या/स्पष्ट संस्तुति जिलाधिकारी के माध्यम से शासन को 07 दिन के अन्दर उपलब्ध करायी जायेगी। विभिन्न विभागों के निरीक्षण के लिए सुलभ सन्दर्भ हेतु कुछ सुसंगत अधिनियमों, एवं प्राविधानों के सुसंगत अंश **संलग्नक—1** पर उपलब्ध है।

4- कृपया यह भी सुनिश्चित करें कि किसी भी दशा में गोवंश पशुओं का वध व तस्करी न हो। निरीक्षण के समय यह भी देखा जाय कि उक्त प्रकार की पशुवधशालायें आबादी या धार्मिक स्थलों के निकट न हो। यह भी सुनिश्चित किया जाय कि सार्वजनिक मार्गो के किनारे खुले रूप से या अवैध रूप से वधशालाओं का संचालन बिल्कुल न होने पाये।

उक्त के परिप्रेक्ष्य में सम्बन्धित जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा पशुवधशालाओं के निरीक्षण के दौरान संलग्नक—1 में उल्लिखित अधिनियमों का संज्ञान लेते हुए, उक्त के अतिरिक्त सम्बन्धित विभागों के सुसंगत प्राविधानों का संज्ञान भी, यदि वांछित हो, तो लिया जाय। यदि निरीक्षण के समय ऐसी कमियां, अनियमिततायें या उल्लंघन पाये जाय, जिनमें कोई दण्डात्मक, निरोधात्मक या अभियोजन की कार्यवाही वांछित हो, तो इसे तत्काल किया जाय।

5— पशुवधशालों के निरीक्षण के समय समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक द्वारा आवश्यकतानुसार पुलिस बल उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए।

6— सन्दर्भित मामले में सम्बन्धित समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव से यह अपेक्षा है कि अपने—अपने विभागों हेतु नोडल अधिकारी, नामित करते हुए तद्नुसार नामित नोडल अधिकारी के नाम, पदनाम, मोबाइल नम्बर एवं आवासीय पता आदि का विवरण पर्यावरण/नगर विकास विभाग को तत्काल उपलब्ध कराया जायें, ताकि नामित नोडल अधिकारी से आवश्यकतानुसार सूचनायें प्राप्त की जा सकें।

7— कृपया उक्त निर्देशों के कम में किये गये निरीक्षणों की सूचना का सारांश प्रतिदिन पूर्वान्ह 11.00 बजे तक अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, पर्यावरण विभाग तथा प्रमुख सचिव/सचिव, नगर विकास विभाग को निम्नलिखित ई—मेल/फैक्स पर उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय:—

अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, पर्यावरण विभाग	ई—मेल— psforest2015@gmail.com फैक्स नं0— 0522—2235206
प्रमुख सचिव/सचिव, नगर विकास विभाग	ई—मेल— cc.urbandev@gmail.com फैक्स नं0— 0522—2238263/2237585

संलग्नक—उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(राहुल भटनागर)
मुख्य सचिव।

sigo

संख्या– 760(1)/नौ–8–2017 तद्‌दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, गृह/पर्यावरण/पशुधन/पंचायतीराज/ चिकित्सा एवं स्वास्थ्य/परिवहन/श्रम/खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग उत्तर प्रदेश शासन।

2– पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

3– निदेशक, स्थानीय निकाय, उत्तर प्रदेश लखनऊ ।

4– सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गोमतीनगर, लखनऊ।

5– समस्त अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका परिषदें/नगर पंचायतें, उत्तर प्रदेश (द्वारा निदेशक, नगरीय निकाय, उ0प्र0 लखनऊ)।

6– गार्ड फाइल/कम्प्यूटर सेल नगर विकास विभाग।

आज्ञा से,

22/3/2017

(श्रीप्रकाश सिंह)

सचिव।

sigo

शासनादेश संख्या–760/नौ–8–2017–29ज/2017दिनांक 22 मार्च, 2017 का संलग्नक–1

Sr. No.	STATUT/STANDARD/GUIDELING
1	Prevention of Cruelty to Animals Act,1960[Relevant Sections: Sections 3(p.3), 9(b) (p. 6), Section 9 (c) (p. 6), 11 (P.7,8) and 38 (P. 15, 16)
2	Transport of Animals Rules, 1978 (as amended in 2001 and 2009)
3	Prevention of cruelty to Animals (Transport of Animals of Foot) Rules 2000
4	Prevention of Cruelty to Animals (Slaughter House) Rules 2001
5	Performa for Ante and Post Mortem Fitness Certificates to be issued by the veterinary Doctor after examining the animal before and after slaughter of animals as per Rule 4 (3) of the Prevention of Cruelty to Animals (Slaughter House) Rules 2001 [Relevant documents: Letter from AWBI to Director/Commissioner, Municipal Administration of all States and Union Territories, dated 17.10.2016 (p.49): Letter from AWBI to CEO Food Safety & Standards Authority, dated 17.10.2016(p. 50:) Letter from FSSAI to All Central Licencing Authorities and Commissioners of food Safety of all States/ Ut's (p.51)]
6	Draft Prevention of Cruelty to Animals (Regulation of livestock market) Rules 2016
7	Central Motor Vehicles (Eleventh Amendment) Rules, 2015 [Relevant Rules: Rule 125 E (p.69)
8	Central Motor Vehicles (13th Amendment) Rules, 2016 [Relevant Rules: Rule 125E(p.71)]
9	Food Safety and Standards Act 2006 [Relevant Sections- Section 92 p. 118, 119)]
10	Food Safety and standards (Licensing and Registration of food Business) Regulations 2011 [Relevant regulations- Part IV(p.161-178)]
11	Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Additives) Regulations, 2011 [Relevant regulations- Regulation 2.5 (p. 265)]
12	Agriculture and Processed Food Product Export Development Authority (Amendment) Act 2009 [Relevant Sections-section 4 (p.344) and section 12 (p.349)]
13	Environment Protection Act 1986 [Relevant Section-6 &25 (p.356)
14	The Environment (Protection) Rules, 1986 [Relevant Rules-Effluent Discharge Standards. S.No. 50(p.357)
15	(Revised Draft) Effluent Discharge Standards for Slaughter House to be notified by The MoEF [Relevant Rules-Effluent Discharge Standards. S.No. 50(p.360)
16	The Water (Preservation and Control of Pollution) Act, 1974 [Relevant Section 24(p.373, 374), 25 (p.374), 26(p.375), 27(P.375, 376), 28(p.376)&33B(p.378)]
17	The Water (Preservation and control of pollution) Rules 1975 [Relevant Rules: Form XIII (p.410)]
18	The Air (Prevention and Control of Pollution) Act 1981 [Relevant Section -21(p.441),22A (p.443), 23 (p.443), 24 (p. 443,444), 31A (p.446),31B(p.446), 37 (p.448), 40 (p. 448,449), &41 (p.449)]
19	The Municipal Solid Wastes (Management & Handling) Rules 2000 [Relevant Rules- 7(p.456), Schedule II- S.No. 1 (iii)(p.458), 4 (p.459), 5 (p.459,460), 6 (p.460), Form II Clause 6 (ii) (p.472)]
20	The National Green Tribunal Act 2010 [Relevant sections 14 (p.482), 16 (p.483)]
21	IS 8895:2015 Handling Storage and Transport of Slaughter house by- products Guidelines (First Revision)
22	IS 1982:2015 Ante Mortem and post mortem inspection of meat animals- Code of practice (second revision)
23	IS 4393:2016 Basic Requirement of an Abattoir (second revision)
24	[Revised] Standards for Discharge of Effluents from Slaughter houses, Meat Proassing Units and Sea Food Industry.

sigo